

श्रीमती श्रीलथा भूपल

बनाम

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि सचिव, राजस्व विभाग, हैदराबाद और

अन्य

नवंबर 28,1989

[न्यायमूर्ति जी. एल. ओजा और न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी]

आंध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961: उपधारा 7 , 8 ,
10 और 19-अधिशेष भूमि-का समर्पण-मुआवजे का निर्धारण-का संशोधन-
क्या अधिकार क्षेत्र से परे है।

आंध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 की धार 7 का उप-
खंड (2) संभागीय राजस्व अधिकारी को आदेश देता है की वह सीमा क्षेत्र
से अधिक भूमि समर्पण करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को एक
नोटिस जारी करे जिसमें उसे उस भूमि जिसे वह समर्पण करने का प्रस्ताव
करता है को दिखाते हुए एक विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी। उप-
खंड (3) में संभागीय राजस्व अधिकारी से समर्पण को मंजूरी देने वाले उस
विवरण पर आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है और उसके बाद
उक्त भूमि को समर्पित कर दिया माना जाएगा। धारा 8 संभागीय राजस्व
अधिकारी को धारा 10 के तहत मुआवजे के भुगतान करके ऐसी भूमि

कब्जे में ले लेने का प्रावधान करती है। धारा 10 मुआवजे के तरीके को निर्धारित करती है।

तत्काल मामले में, अपीलार्थी की भूमि के संबंध में अधिनियम के धारा 7(3) के तहत संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पन्न किए जाने के पश्चात ने धारा 10 के तहत मुआवजे को तय करते हुए एक आदेश दिया था। जिला राजस्व अधिकारी ने हालांकि भुगतान करने के बजाय, एक नोटिस जारी किया, जिसमें धारा 19(1) ,यथा संशोधित,के तहत होने का दावा करते हुए उक्त आदेश को संशोधित करने हेतु प्रस्ताव किया।

आवेदक ने यह तर्क देते हुए एक रिट याचिका दायर की कि जब धारा 7 के उप-खंड (3) के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो समर्पण पूरा हो जाता है और भूमि राज्य में निहित हो जाती है, धारा 10 की योजना के तहत जो बच जाता है वह केवल मुआवजा निर्धारित करने का प्रश्न है, और एक बार यह निर्धारित हो जाने के बाद अधिकारियों के पास मुआवजे को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 7 के खंड (3) में "समर्पित माना गया" शब्दों का उपयोग किया गया है जो इंगित करता है कि यद्यपि संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश द्वारा भूमि के समर्पण के बारे में प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन

फिर भी यह केवल समर्पण मान लेना समझा जाता है और यह की भूमि राज्य में तभी निहित होती है जब धारा 8 के तहत मुआवजे का भुगतान करके उसे कब्जे में ले लिया जाता है।

उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जब तक धारा 8 के तहत अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाता है भूमि राज्य में निहित नहीं होती है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई थी और यदि इस चरण में अधिकारियों के पास मुआवजे को संशोधित करने का अधिकार क्षेत्र है तो यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों ने उनके अधिकार क्षेत्र से आगे कुछ किया है।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

आंध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1961 के धारा 7 की योजना इंगित करती है कि अधिशेष भूमि जो धारक समर्पण करेगा अंततः तब निर्धारित की जाती है जब खंड (3) के तहत एक आदेश पारित किया जाता है। हालाँकि, इन कार्यवाहियों की अंतिमता के बावजूद विधायिका ने "समर्पण कर दिया गया है" वाक्यांश का उपयोग करने के बजाय उक्त खंड "समर्पण कर दिया गया माना जाता है" शब्द का उपयोग करता है। इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि कुछ और करना बाकी है, और यही धारा 8 में प्रदान किया गया है संभागीय राजस्व अधिकारी को भूमि पर कब्जा करने के लिए प्राधिकृत करके, जिसे धारा 10 के तहत निर्धारित मुआवजे का

भुगतान करने पर समर्पण कर दिया गया माना जाता है। इस तरह कब्जा लेने के बाद में ही भूमि राज्य में निहित होती है। [319 जी; 320 ए; 320 सी-डी]

इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 8 के तहत आदेश केवल धारा 10 के तहत निर्धारित मुआवजे के भुगतान किए जाने के बाद ही पारित किया जा सकता है, और जब तक धारा 8 के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि राज्य में निहित है। यदि इस बीच में कोई संशोधन हुआ है तो सक्षम अधिकारी धारा 10 के तहत पारित आदेशों में संशोधित कर सकते हैं। (321 एच; 321 बी)

तत्काल मामले में धारा 8 के तहत कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं को खारिज करने में सही था। [321 एच; 322 बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1975 की सिविल अपील सं. 1147

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1973 की डब्ल्यू. पी. सं. 4818, साथ में 1976 की सिविल अपील सं. 1054-55 और 1977 की 1503 और 1546 में दिनांक 28.12.1973 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थित पक्षों के लिए टी. एस. कृष्णमूर्ति अय्यर, सी. सीतारामैया, के. माधव रेड्डी, चेल्ला सीतारामनी, के. राम कुमार, श्रीमती जे. रामचंद्रन,

श्रीमती अंजनी, टीवीएसएन चारी, ए. वी. रंगम, जगन राव और ए. वी. वी. नायर।

न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति ओजा द्वारा निर्णय दिया गया।

यह अपील 1973 की रिट याचिका संख्या 4818 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है जिसमें अपीलार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को आंध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम एक्ट 1961 के तहत उसके द्वारा सौंपी गई भूमि के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का तुरंत भुगतान करने का निर्देश देने वाला परमादेश देने की मांग की। एक और निर्देश में तीसरे प्रतिवादी को 1972 के अधिनियम सं. 1 द्वारा 19.1.72 से संशोधित अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत पुनरीक्षण के साथ आगे बढ़ने से रोकने की मांग की गई थी।

आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पति के स्वामित्व की गडवाल में व्यापक जमीने थी। अधिनियम के लागू होने के बाद संभागीय राजस्व अधिकारी, गडवाल ने अधिनियम की धारा 3(2) के तहत एक नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के पति को अपनी जोत की घोषणा दायर करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार याचिकाकर्ता के पति ने घोषणा दायर

की। इसके बाद 1969 में याचिकाकर्ता और तीन नाबालिग बच्चों को पीछे छोड़कर उसकी मृत्यु हो गई।

संभागीय राजस्व अधिकारी ने अधिनियम की धारा 6 के तहत जांच की और अपने दिनांक 25.1.71 के आदेश द्वारा उसने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के पति के कानूनी प्रतिनिधियों के पास अधिकतम सीमा वाले क्षेत्र जिसे वे धारण करने के हकदार थे से 29.72 अधिक पारिवारिक जोत थी।

इसके बाद याचिकाकर्ता को धारा 7(2) के तहत दिनांक 25.1.71 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता से उस भूमि को दर्शाते हुए एक विवरण दायर करने की आवश्यकता थी जिसे वह समर्पण करने का प्रस्ताव करती है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.3.71 को उस भूमि का विस्तृत विवरण दायर किया जिन्हें वह समर्पण करने का प्रस्ताव रखती है।

संभागीय राजस्व अधिकारी ने जांच के उपरांत संतुष्ट होकर कि समर्पण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि अधिनियम की धारा 7(1) और (2) की आवश्यकता को पूरा करती है दिनांक 31.3.71 को अधिनियम की धारा 7(3) के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा 713.16 एकड़ (29.72 पारिवारिक जोत के बराबर) के समर्पण को मंजूरी दी गई।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने जिला राजस्व अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 10 के तहत उसके द्वारा समर्पण की गई भूमि के संदर्भ में मुआवजे के निर्धारण के लिए एक आवेदन दायर किया। जिला राजस्व अधिकारी ने उसके द्वारा समर्पण की गई भूमि के संबंध में ₹6,44,265.09 का मुआवजा तय किया।

संभागीय राजस्व अधिकारी ने 7.7.71 को आंध्र प्रदेश राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा समर्पण की गई भूमि का विवरण और अधिनियम की धारा 11 के अनुसार इसके लिए देय मुआवजे का विवरण शामिल था।

निर्धारित मुआवजे का भुगतान करने के बजाय, जिला राजस्व अधिकारी महबूबनगर ने याचिकाकर्ता द्वारा समर्पण की गई भूमि का मुआवजा तय करने के लिए संभागीय राजस्व अधिकारी के दिनांक 15.4.71 के आदेशों को संशोधित करने का प्रस्ताव करते हुए दिनांक 21.3.72 का एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस संशोधित अधिनियम की धारा 19 खंड 1 के तहत जारी करना बताया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए एक आपत्ति दायर की कि तीसरे प्रतिवादी के पास क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उक्त आदेश को संशोधित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जोकि पहले पारित किया गया था, क्योंकि जिस दिन संभागीय अधिकारी ने नोटिस जारी किया था उसी दिन

वह आदेश अंतिम हो चुका था जिसे संशोधित करना चाहा गया था। इसके बावजूद तीसरे प्रतिवादी ने पुनरीक्षण कार्यवाही का निपटारा नहीं किया है और यही वह कारण था जिसके चलते उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमारे सामने तर्क दिया कि एक बार जब धारा 7 के तहत अधिकतम सीमा से अधिक भूमि निर्धारित की जाती है और एक धारक द्वारा समर्पण का विवरण दायर किया जाता है जिसे राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा धारा 7 के खंड 3 के तहत स्वीकार किया जाता है, तो भूमि राज्य में निहित हो जाती है और उसके बाद अधिकारियों को मुआवजे या किसी भी आदेश को संशोधित करने का प्रयास करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता है जो अधिनियम के तहत पहले ही पारित किया जा चुका है।

जबकि राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 7 के खंड 3 में "मान लिया गया कि समर्पण कर दिया गया" शब्द का उपयोग किया गया है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हालांकि संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश द्वारा भूमि के समर्पण के बारे में धारक द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अंतिम रूप दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसे केवल मान लिया जाता है की समर्पण कर दिया गया है क्योंकि इसके बाद भी यह भूमि राज्य में

निहित नहीं होती है लेकिन यह केवल वैसे ही निहित होती है जैसा कि धारा 8 के तहत विचार किया गया है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि भूमि जिसे धारा 7 के तहत समर्पण किया गया माना जाता है वह केवल तभी राज्य में निहित होती है जब इसे धारा 8 के अनुसार मुआवजे के भुगतान के बाद अधिग्रहित किया जाता है।

उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया और यह विचार लिया है कि जब तक धारा 8 के तहत अधिग्रहण पूरा नहीं कर लिया जाता है भूमि राज्य में निहित नहीं होती है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई है और इस स्तर पर जब भूमि अभी तक राज्य में निहित नहीं है, यदि अधिकारियों के पास मुआवजे को संशोधित करने के लिए अधिकार क्षेत्र है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ किया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष और हमारे समक्ष अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि एक बार अधिनियम की योजना के तहत जहां तक धारक का संबंध है, धारा 7 उपखंड 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है कि उसने अधिशेष भूमि को समर्पण कर दिया है और धारा 10 और 11 की योजना के तहत जो बचता है वह केवल मुआवजे के निर्धारण का सवाल है और एक बार यह निर्धारित हो जाने के

बाद अधिकारियों के पास उस व्यक्ति को मुआवजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 7 की योजना के अनुसार जोत का समर्पण कर दिया है।

यह विवाद में नहीं है कि कार्यवाही आंध्र प्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1961 के तहत की गई थी और घोषणा दायर किए जाने के बाद अधिकतम सीमा क्षेत्र धारा 6 के अनुसार निर्धारित किया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि धारा 7 उपखंड 2 के अनुसार याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को उस भूमि को दर्शाते हुए एक विवरण दायर करने के लिए एक नोटिस दिया गया था जिसे वह समर्पण करने का प्रस्ताव करती है और अपीलार्थी द्वारा विवरण दायर किए जाने के बाद ही धारा 7 के उपखंड 3 के अनुसार एक आदेश पारित किया गया था। धारा 7 में कहा गया है:

“(1) यदि किसी व्यक्ति की जोत की सीमा धारा 6 के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक नहीं है, तो वह ऐसी जोत को बनाए रखने का हकदार होगा, लेकिन यदि यह अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक है तो वह अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि का समर्पण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संभागीय राजस्व अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति जो कि उपधारा (1) के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि का समर्पण करने के लिए

उत्तरदायी है को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें निर्दिष्ट होगा कि उसे कितनी भूमि का समर्पण करना है और उसे इस तरीके से और निर्धारित अवधि के अंदर जैसे की उल्लेखित है समर्पण की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए एक विवरण दायर करने की आवश्यकता है जिसे वह समर्पण करने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप-धारा (2) के तहत नोटिस दिया जाता है, उस उप-धारा में निर्दिष्ट विवरण को निर्धारित समय में दायर करता है और संभागीय राजस्व अधिकारी निर्दिष्ट तरीके से जांच करके संतुष्ट होता है, कि भूमि का प्रस्तावित समर्पण उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार है, वह समर्पण को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित करेगा और उक्त भूमि को इसके बाद ऐसे व्यक्ति द्वारा समर्पण किया गया माना जाएगा।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप धारा (2) के तहत नोटिस दिया जाता है, उसमें निर्दिष्ट विवरण को उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल नहीं करता है या निर्धारित अवधि के भीतर विवरण दाखिल करता है लेकिन उसमें भूमि की पूरी सीमा निर्दिष्ट नहीं करता जो उसे संपर्पण करनी है, संभागीय राजस्व अधिकारी स्वयं, पहले मामले में पूरी सीमा का चयन कर सकता है और बाद वाले मामले में उस सीमा का शेष जो ऐसे व्यक्ति को समर्पण करना है और उस आशय का आदेश जारी कर सकता

है; और उसके बाद उक्त भूमि या भूमि का शेष, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा समर्पण किया हुआ माना जाएगा।”

इस धारा की योजना इंगित करती है कि जब किसी व्यक्ति की जोत की सीमा धारा 6 के तहत निर्धारित कि जाती है और यदि धारा 6 के तहत इसका निर्धारण करते हुए यह पाया जाता है कि उसके पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि है, तो वह सीमा से अधिक भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी होगा। इस धारा के उप-खंड 2 में कहा गया है कि संभागीय राजस्व अधिकारी ऐसे सभी व्यक्तियों को एक नोटिस देगा जो अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि को समर्पण करने के लिए उत्तरदायी हैं और यह नोटिस उस भूमि की सीमा को निर्दिष्ट करेगा जिसे उन्हे समर्पण करना है और एक निर्देश कि संबंधित व्यक्ति उस भूमि का उल्लेख करते हुए एक विवरण दायर करेगा जिसे धारक समर्पण करने का प्रस्ताव करता है।

इस धारा का उप-खंड 3 इस बात पर विचार करता है की उप-खंड 2 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवरण को दाखिल करने पर, संभागीय राजस्व अधिकारी यदि वह उस भूमि के संदर्भ में खंड 2 के तहत एक नोटिस के जवाब में दायर किए गए विवरण से संतुष्ट है जिसे धारक समर्पण करने

का प्रस्ताव करता है, तो वह भूमि के समर्पण को मंजूरी देते हुए एक आदेश पारित करेगा।

उप-खंड 4 एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहाँ खंड 2 के तहत नोटिस दिए जाने के बाद धारक खंड 3 के तहत सोच के अनुसार विवरण दाखिल नहीं करता है।

अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ तक अधिशेष भूमि जिसे धारक समर्पण करेगा का संबंध है यह अंततः तब निर्धारित किया जाता है जब धारा 7 के खंड 3 के तहत एक आदेश संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इन कार्यवाहियों की अंतिमता के बावजूद विधायिका इस वाक्यांश का उपयोग करती है कि "इसके बाद यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा समर्पण कर दिया गया है।" यह महत्वपूर्ण है कि विधायिका "समर्पण किया गया है" वाक्यांश का उपयोग करने के बजाय "समर्पण किया गया माना गया" शब्द का उपयोग करती है और इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि अभी कुछ और करना बाकी है। धारा 8 निम्नानुसार है:

"(8) जहाँ किसी भूमि को धारा 7 के तहत धारक द्वारा समर्पण कर दिया गया माना जाता है, संभागीय राजस्व अधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 10 के तहत मुआवजे का भुगतान करने पर ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर

सकता है, और ऐसी भूमि का निपटान निर्धारित तरीके से भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को आवंटित करके किया जाएगा।"

यह उस भूमि के निहित होने का प्रावधान करता है जिसे धारक द्वारा समर्पित किया माना गया है। धारा के शीर्षक में प्रयुक्त की गई यह शब्दावली स्वयं इंगित करती है कि अधिशेष भूमि के निर्धारण के बाद भी, जिसे समर्पित किया गया माना जाता है, निहितीकरण केवल तभी होता है जब कुछ और किया जाता है और यही इस धारा में प्रदान किया गया है। यह धारा संभागीय राजस्व अधिकारी को मुआवजे के भुगतान पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत करती है, मुआवजा जो धारा 10 के तहत निर्धारित किया जाता है और भूमि जिसे धारा 7 के तहत समर्पित किया गया माना जाता है और यह धारा 8 के तहत अधिग्रहण करने के बाद ही है कि इस धारा की योजना के तहत भूमि राज्य में निहित होती है और उसके बाद यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी भूमि का निपटान भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को सौंपकर निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

इसलिए धारा की योजना का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा 7 के उपखंड 3 के तहत आदेश पारित होने के बाद यद्यपि अधिशेष भूमि के समर्पण की कार्यवाही और समर्पण करने के लिए मांगी गई भूमि के चयन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह

समर्पण नहीं है, बल्कि यह केवल समर्पण किया हुआ माना जाता है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जहां तक धारक का संबंध है, उसने अंततः उस भूमि का निर्धारण कर लिया है जिन्हें वह अधिशेष के रूप में समर्पण करेगा जो नियत समय में अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित करने के लिए राज्य में निहित होगी, लेकिन धारा 8 की भाषा और धारा 7 के उप-खंड 3 में उपयोग की गई भाषा से भी यह स्पष्ट है कि जब तक कि वह भूमि जिसे समर्पण किया गया माना जाता है, धारा 10 के तहत निर्धारित मुआवजा के भुगतान द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाता है राज्य में निहित नहीं है। इसलिए धारा 8 की योजना यह इंगित करती है कि संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा राज्य में निहित किया जाना और मुआवजे का भुगतान एक साथ और धारा 8 के तहत एक आदेश के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 7 के तहत अधिशेष के निर्धारण के लिए कार्यवाही पूरी होने के बाद, मुआवजे के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू हो जाएगी जैसा कि धारा 10 में प्रदान किया गया है और यह तभी होगा जब मुआवजे को भी अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया जाएगा कि धारा 8 के तहत मुआवजे के भुगतान के बाद अधिग्रहण किया जाएगा।

अतः यह स्पष्ट है कि धारा 7 उपखंड 3 के अनुसार कार्यवाही पूरी होने जाने के बाद और मुआवजे का निर्धारण किए जाने के बाद भी यदि

धारा 8 के तहत कार्रवाई नहीं की गई है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि राज्य में निहित हो गई है। यदि बीच में कोई संशोधन हुआ है तो सक्षम अधिकारी पारित आदेशों को संशोधित कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि धारा 7 के उपखंड 3 के तहत कार्यवाही समाप्त होने और मुआवजे का निर्धारण होने के बावजूद धारा 8 के तहत कार्रवाई पूरी होने तक भूमि उस धारक के पास रहती है जो भूमि से लाभ प्राप्त कर रहा होता है।

इसलिए इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया जाना कि जब धारा 7 के उपखंड 3 के तहत कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो समर्पण पूरा हो जाता है और भूमि राज्य में निहित हो जाती है को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसा की स्वीकार किया गया है धारा 8 के तहत कार्रवाई नहीं की गई है।

कुछ आदेशों के आधार पर जो धारा 10 के तहत पारित किए गए प्रतीत होते हैं यह तर्क दिया गया था कि अधिग्रहण पूरा हो गया है लेकिन इन आदेशों में केवल धारा 10 की भाषा को पुनः प्रस्तुत किया गया है। धारा 10 निम्नानुसार है:

"(1) संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा: धारा 8 या 9 के तहत संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा अधिग्रहित की गई किसी भी भूमि के लिए देय मुआवजा राशि की गणना दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी। जहां ऐसी भूमि पर

स्थायी प्रकृति की कोई संरचना या पेड़ हैं ऐसी संरचनाओं या पेड़ों का मूल्य निर्धारण संभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से करके उस व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा है जो इसका हकदार है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन देय मुआवजे का भुगतान या तो नकद या बंधपत्र में या आंशिक रूप से नकद में किया जाएगा और आंशिक रूप से बंधपत्र में जो सरकार उचित समझे। बंधपत्र ऐसी शर्तों पर जारी किए जाएंगे और ऐसी ब्याज दरों पर होंगे जैसी की निर्धारित की जाएगी।"

लेकिन स्वीकृत रूप से धारा 8 के तहत कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यह स्पष्ट है कि धारा 8 के तहत आदेश केवल धारा 10 के तहत निर्धारित मुआवजे के भुगतान के बाद ही पारित किए जा सकते हैं।

अतः धारा 10 के तहत इन आदेशों से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता था। राज्य की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि धारा 10 के तहत इन आदेशों के खिलाफ, यह अपीलकर्ता (उनमें से कुछ) थे जिन्होंने मुआवजे को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं और इस प्रकार मुआवजे के निर्धारण का प्रश्न ही लंबित रह गया।

नतीजतन, हमारी राय में, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अस्वीकार करने में उच्च न्यायालय सही था । इसलिए हम इस अपील

पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ऊपर बताए गए कारणोंसे, सिविल अपील सं. 1054/76, 1055/76, 1503/77 और 1546/77 अनुमत की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज की गई।

P.S.S.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।